रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 1976/माघ 14, 1897
No. 60] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 1976/MAGHA 14, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 3rd February 1976

S.O. 75(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Burn and Company and Indian Standard Wagon Company (Taking Over of Management) Act, 1973 (57 of 1973), the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the Burn and Company Limited and the Indian Standard Wagon Company Limited in the same manner as it applied thereto before the commencement of the said Act.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, Restrictions and Limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the companies.
(1)	(2)
Section 293 (1) (d)	The provisions of this section shall not apply.

[No. F.7(46)/75/HM-III]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1976

का० आ० 75 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बर्न कम्पनी और इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 57) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में ऐसे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं विनिर्दिष्ट करती है, जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) बर्न कम्पनी लिमिटेड तथा इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड को उसी रीति में लागू रहेगा जैसा वह उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उन्हें लागू था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	ऐसे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं, जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में उल्लिखित उपबन्ध कम्पनियों को लागू होंगे ।
(1)	(2)
धारा 293 (1) (घ)	इस धारा के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ।

[फा० सं० 7 (46)/75-एच० एम०-III]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976